

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2915(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में दिनांक 23 अगस्त, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का.आ.822 (अ) दिनांक 23 अगस्त, 2001 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा न किए गए कार्यों को छोड़कर एतद्वारा:

- (क) निदेश देता है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची-I अथवा II, जैसा भी मामला हो, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अनुसूचियां कहा गया है) के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आयकर महानिदेशक अथवा मुख्य आयकर आयुक्त, अथवा उक्त अनुसूचियों के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त अथवा कर-निर्धारण अधिकारी उक्त अधिनियम में निर्धारित शक्तियों का प्रयोग तथा कार्य का निष्पादन ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों अथवा ऐसी आय अथवा आय की श्रेणियों अथवा ऐसे मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों के संबंध में ऐसे क्षेत्राधिकारों के रह जाने तक करते रहेंगे जिनमें उक्त आयकर प्राधिकारी इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत पारित किसी भी आदेश द्वारा उन्हें सौंपे गए क्षेत्राधिकार के आधार पर शक्तियों का प्रयोग तथा कार्य का निष्पादन कर रहे हैं;
- (ख) निदेश देता है कि उक्त अनुसूचियों के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आयकर महानिदेशक अथवा मुख्य आयकर आयुक्त अथवा उक्त अनुसूचियों के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त अथवा उनके अधीनस्थ संयुक्त आयकर आयुक्त उक्त अधिनियम में यथा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग तथा कार्य का निष्पादन इस अधिसूचना का प्रकाशित होने की तिथि से ऐसे मामलों अथवा मामले की श्रेणियों अथवा ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों के संबंध में करेंगे जो उक्त अधिनियम की धारा 127 के तहत उनके अधीनस्थ कर-निर्धारण अधिकारी को सौंपे गए हैं;
- (ग) उक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट आयकर महानिदेशक अथवा मुख्य आयकर आयुक्त अथवा उक्त अनुसूचियों के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त को आयकर उपायुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त अथवा उनके अधीनस्थ आयकर अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (7क) के अंतर्गत यथापरिभाषित कर-निर्धारण अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग तथा कार्य का निष्पादन करने हेतु क्षेत्राधिकार सौंपने का लिखित में आदेश पारित करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2014 से प्रभाव में आएगी।

अनुसूची-I

क्रम सं.	आयकर महानिदेशक (जांच)	मुख्यालय	उप क्रम सं.	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त (मध्य)	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आयकर महानिदेशक (जांच), अहमदाबाद	अहमदाबाद	(i)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), अहमदाबाद	अहमदाबाद
			(ii)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), सूरत	सूरत
2.	आयकर महानिदेशक (जांच), बेंगलुरु	बेंगलुरु	(iii)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), बेंगलुरु	बेंगलुरु
3.	आयकर महानिदेशक (जांच), भोपाल	भोपाल	(iv)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), भोपाल	भोपाल
4.	आयकर महानिदेशक (जांच), चंडीगढ़	चंडीगढ़	(v)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), लुधियाना	लुधियाना
			(vi)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), गुडगांव	गुडगांव
5.	आयकर महानिदेशक (जांच), चेन्नई	चेन्नई	(vii)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), चेन्नई- 1	चेन्नई
			(viii)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), चेन्नई - 2	चेन्नई
6.	आयकर महानिदेशक (जांच), हैदराबाद	हैदराबाद	(ix)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), हैदराबाद	हैदराबाद
7.	आयकर महानिदेशक (जांच), जयपुर	जयपुर	(x)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), जयपुर	जयपुर
8.	आयकर महानिदेशक (जांच), कोच्चि	कोच्चि	(xi)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), कोच्चि	कोच्चि
9.	आयकर महानिदेशक (जांच), कोलकाता	कोलकाता	(xii)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), कोलकाता- 1	कोलकाता
			(xiii)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), कोलकाता- 2	कोलकाता
			(xiv)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), कोलकाता- 3	कोलकाता
10.	आयकर महानिदेशक (जांच), लखनऊ	लखनऊ	(XV)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), कानपुर	कानपुर
			(Xvi)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), लखनऊ	लखनऊ
11.	आयकर महानिदेशक (जांच), पटना	पटना	(Xvii)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), पटना	पटना
12.	आयकर महानिदेशक (जांच), पुणे	पुणे	(xviii)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), पुणे	पुणे
			(xix)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), नागपुर	नागपुर

अनुसूची -II

क्रमांक	मुख्य आयकर आयुक्त (मध्य)	मुख्यालय	उप क्रम सं.	प्रधान आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त (मध्य)	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मुख्य आयकर आयुक्त (मध्य), दिल्ली	दिल्ली	(i)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), दिल्ली- 1	दिल्ली
			(ii)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), दिल्ली- 2	दिल्ली
			(iii)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), दिल्ली- 3	दिल्ली
2.	मुख्य आयकर आयुक्त (मध्य), मुम्बई-I	मुंबई	(iv)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), मुम्बई- 1	मुंबई
			(v)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), मुम्बई- 2	मुंबई
3.	मुख्य आयकर आयुक्त (मध्य), मुम्बई-II	मुंबई	(Vi)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), मुम्बई- 3	मुंबई
			(vii)	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), मुंबई-4	मुंबई

[अधिसूचना सं. 70/2014/फा. सं. 187/37/2014 (आ.क.नि.-I)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक